

क्रमांक :

केवल शासकीय उपयोग हेतु
निःशुल्क



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

नगरपालिका निर्वाचन

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण
प्राधिकृत कर्मचारी बुकलेट

BLO Booklet

(जनवरी 2019)

मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए प्राधिकृत कर्मचारी (BLO) के लिए
दावा आपत्ति सम्बंधी विभिन्न आवेदन पत्रों
(ER-1 परिवर्धन, ER-2 विलोपन, ER-3 संशोधन)
दैनिक विवरणी की समेकित पुस्तिका

एवं

मार्गदर्शिका

केवल शासकीय उपयोग हेतु
निःशुल्क



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

नगरपालिका निर्वाचन

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण
प्राधिकृत कर्मचारी बुकलेट

BLO Booklet

(जनवरी 2019)

मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए प्राधिकृत कर्मचारी (BLO) के लिए
दावा आपत्ति सम्बंधी विभिन्न आवेदन पत्रों
(ER-1 परिवर्धन, ER-2 विलोपन, ER-3 संशोधन)
दैनिक विवरणी की समेकित पुस्तिका
एवं

मार्गदर्शिका

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, कर्त्तव्य एवं दायित्व.	1
2.	मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण.	4
3.	प्रथम चरण – कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन.	5
4.	द्वितीय चरण – विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर नगरपालिका की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना.	7
5.	तृतीय चरण – प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना.	12
6.	मतदाता सूची एजेण्टों की नियुक्ति.	18
7.	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए अर्हता और निर्रहता.	20
सेम्पल एवं परिशिष्ट		21–28
प्ररूप-1 से 4		29–32
ER-1 (परिवर्धन) प्ररूप कुल 25		33–82
ER-2 (विलोपन) प्ररूप कुल 4		83–90
ER-3 (संशोधन) प्ररूप कुल 6		91–102
पावती, कुल 36		103–120
दैनिक विवरणी, कुल 15		121–150

बुकलेट में संलग्न विभिन्न प्ररूपों के उपयोग सम्बंधी जानकारी (हिसाब)

जमा / प्रदाय दिनांक	विवरण	प्ररूपों की संख्या					प्राधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर
		ER-1	ER-2	ER-3	पावती	दैनिक विवरणी	
	प्रदाय	25	4	6	36	15	
	उपयोग						
	शेष*						
	उपयोग						
	शेष						
	उपयोग						
	शेष						

*शेष प्ररूप अगली तिथि के लिए प्रदाय प्ररूप होंगे।

मार्गदर्शिका

अध्याय—1

प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, कर्त्तव्य एवं दायित्व

- 1.1 प्राधिकृत कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग का स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि होता है जो निर्धारित कार्य क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर सूचनाएँ एकत्रित करने तथा मतदाता सूची तैयार करने एवं उसके रख-रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
- 1.2 नगरपालिका निर्वाचन के लिए, मतदाता सूची वार्डवार तैयार की जाती है। यह सूची विधानसभा की प्रचलित मतदाता सूची (अर्थात् अद्यतन सूची) पर आधारित रहती है। इस हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची को वार्डवार छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके प्रारूप सूची या प्रारंभिक सूची बनाई जाती है।
- 1.3 तत्पश्चात् निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड से सम्बंधित प्रारूप सूची को, कम से कम 7 दिन तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/संबंधित नगरपालिका के कार्यालय/उप कार्यालय एवं कतिपय अन्य स्थानों (केन्द्रों पर) आम लोगों के निरीक्षण और उसके सम्बंध में दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए रखा जाता है।
- 1.4 नगरपालिका क्षेत्र के ऐसे ही एक केन्द्र पर जहाँ कि प्रारूप मतदाता सूची को तैयार कर उसका निरीक्षण कराया जाएगा और दावे और आपत्तियाँ प्राप्त की जावेंगी, आपको "प्राधिकृत कर्मचारी" के तौर पर नियुक्त किया गया है। आपका चयन इस बात का सूचक है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन ने आपकी क्षमता पर भरोसा किया है, अतः आपसे यह अपेक्षित है कि आप इस भरोसे के अनुरूप अपना कार्य पूरी सावधानी और निष्ठा से सम्पन्न करें।
- 1.5 आपको, आपकी नियुक्ति का आदेश सीधे या आपके विभागीय नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा। नियुक्ति आदेश में इस बात का उल्लेख रहेगा कि आपको आवश्यक सामग्री प्राप्त करने तथा प्रशिक्षण के लिए कब और किस स्थान पर उपस्थित होना है। तदनुसार आपको प्रशिक्षण, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिया जायेगा जो कम से कम 3 घण्टे तक चलेगा। प्रशिक्षण सत्र में सम्बंधित नगरपालिका के लिए नियुक्त सभी प्राधिकृत कर्मचारी भाग लेंगे।
- 1.6 प्रशिक्षण में आपको, आपके कार्य के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी। अपनी शंकाओं के निवारणार्थ आपको किसी भी बिन्दु पर प्रश्न पूछने का पूरा अवसर दिया जायेगा। आपको यह भी समझाया जायेगा कि प्रारूप मतदाता सूची कैसे तैयार की जायेगी। दावे और आपत्तियों के लिए निर्धारित प्रारूपों (फार्मस) को कैसे भरा जाना है और उनके सम्बंध में आपके द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक जाँच या पूछताछ में किन-किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना है। इस प्रशिक्षण को आप जितनी गम्भीरता से लेंगे उतना ही आपके हित में होगा क्योंकि बाद में मौके पर आपको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं रहेगा तथा हर प्रकार की स्थिति का सामना स्वयं ही (अकेले) करना पड़ेगा।
- 1.7 प्रशिक्षण सत्र में आपको मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण से सम्बंधित निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी :-

1. प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के लिए –
 - i. विधानसभा निर्वाचक नामावली की प्रति।
 - ii. कन्ट्रोल टेबल चैकलिस्ट (सेम्पल-1)।
 - iii. शिपिंग सूची (सेम्पल-2)।
 - iv. विलोपन वेरीफिकेशन सूची (सेम्पल-3)।
 - v. संशोधन वेरीफिकेशन सूची (सेम्पल-4)।
2. अंतिम मतदाता सूची तैयार करने के लिए –
 - i. प्रारूप मतदाता सूची।
 - ii. जाँच सूची (सेम्पल-5)।
 - iii. डुप्लिकेट सूची (सेम्पल-6)।
 - iv. BLO बुकलेट।
 - v. दावा आपत्ति केन्द्र का बैनर।
 - vi. पहचान पत्र, रजिस्टर, स्टेशनरी आइटम आदि।

उपरोक्त सामग्री आपको सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

प्राधिकृत कर्मचारियों के कर्तव्य एवं दायित्व

- 1.8 प्राधिकृत कर्मचारी उसे आवंटित किये गये मतदाता सूची के भाग का भली-भांति अध्ययन करेंगे। वह सम्बंधित नगरीय क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर स्थानीय लोगों विशेष कर बुजुर्गों एवं निर्वाचित स्थानीय जन प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करेंगे तथा मृत/शिपटेड/डुप्लिकेट मतदाताओं के उन नामों को चिन्हित करेंगे, जिन्हें सुसंगत प्रावधानों के अधीन मतदाता सूची रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा हटाने की आवश्यकता है। प्राधिकृत कर्मचारी के मुख्य कार्य निम्न प्रकार है :—
 - मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना तथा मतदान केन्द्र भवन की उपयुक्ता के सम्बंध में रिपोर्ट।
 - शिपिंग, विलोपन वेरीफिकेशन और संशोधन वेरीफिकेशन सूची पर त्रुटि रहित मार्किंग समयसीमा में करना।
 - जाँच सूची और डुप्लिकेट सूची के प्रकरणों की जाँच कर निराकरण कराना।
 - दावों एवं आपत्तियों को प्राप्त करना।
 - परिवर्धन एवं अपमार्जन त्रुटियों की जाँच।
 - शिपटेड, मृत एवं अस्तित्वविहीन मतदाताओं की पहचान करना।
 - मतदाता सूची में वर्तनी, दोहरे नाम की प्रविष्टियों, मतदाता सूची हेडर पेज, फोटो आदि की जाँच।
 - मतदाताओं के फोटो प्राप्त करना।
 - मतदाताओं के मोबाईल नम्बर और आधार नम्बर प्राप्त करना।

- जिन लोगों के नाम हटाए जाने हैं, उन्हें नोटिस जारी करने के सम्बंध में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- पदाविहित स्थानों पर नामावली के आलेख/निर्धारित नोटिसों को प्रदर्शित करना।
- ई.व्ही.एम. के विषयक जन जागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार।
- भाग में आने वाले भवनों को सही प्रकार से क्रमबद्ध किया जाना तथा अनुभागों की शुद्ध क्रमबद्धता।
- राजनैतिक दलों के प्राधिकृत एजेंट के साथ समन्वय रखना।
- प्राप्त प्रपत्रों का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना।
- पंजीकरण के समय मतदाता को निर्वाचन सम्बंधी सामान्य जानकारी देना।
- चुनाव के पहले मतदाता पर्ची का वितरण।
- सामान्य भौगोलिक चौहद्दी के साथ नजरी नक्शा तैयार करना जिससे विशेष रूप से नई विकसित कॉलोनियों की ओवर लैपिंग न होने पाये।

—*—*—*—

अध्याय-2

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण

- 2.1 वर्ष 2016 से आयोग द्वारा मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण किया जा रहा है। वार्षिक पुनरीक्षण की कार्यवाही में ऑनलाईन ERMS (Electoral Roll Management System) एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है। इस एप्लिकेशन से विधानसभा और नगरपालिका की मतदाता सूचियों की तुलना कर आवश्यक कार्यवाही करना आसान हो गया है।
- 2.2 फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, म.प्र. को राज्य स्तरीय एजेंसी (एस.एल.ए.) नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। SLA द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक वेण्डर का चयन किया जा चुका है। वेण्डर द्वारा जिले में आवश्यक स्टाफ और कम्प्यूटर इत्यादि की व्यवस्था की गई है।
- 2.3 प्रदेश की समस्त नगरपालिकाओं की पहली जनवरी की स्थिति में वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार है। अब उक्त फोटोयुक्त मतदाता सूची को पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया 03 चरणों में सम्पन्न की जायेगी।
- **प्रथम चरण** – कंट्रोल टेबल का वेरीफिकेशन और अपडेशन। कंट्रोल टेबल में संशोधन होने पर संशोधन अनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की कार्यवाही। मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण।
 - **द्वितीय चरण** – विधानसभा की मतदाता सूची में बड़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित नगरपालिका वार्ड में जोड़ा जायेगा, विलोपित मतदाताओं को हटाया जायेगा और संशोधित मतदाताओं की जानकारी को संशोधित किया जाकर एकीकरण उपरांत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
 - **तृतीय चरण** में दावे आपत्ति प्राप्त की जाकर उनका निराकरण किया जाकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

—*—*—*—

अध्याय-3

प्रथम चरण कंट्रोल टेबल का वेरीफिकेशन

- 3.1 वेण्डर द्वारा कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट (सम्पल-1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदाय की जायेगी। चैकलिस्ट में नगरपालिका, वार्ड और मतदान केन्द्रों का विवरण अंकित होगा।
- 3.2 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वार्ड और मतदान केन्द्रों की स्थिति के बारे में कंट्रोल टेबल का वेरीफिकेशन दर्ज करना होगा। यदि वेरीफिकेशन नहीं किया जायेगा तो ERMS में आगामी कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी।
- 3.3 यदि पंचायतों और नगरपालिकाओं के सम्बंध में परिसीमन और वार्ड विभाजन के कारण कंट्रोल टेबल में संशोधन किया गया है, तो संशोधन अनुसार मार्किंग को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जाये और तदनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही की जाये।
- 3.4 विगत वार्षिक पुनरीक्षण में यह देखने में आया है कि कतिपय पंचायतों के नगरपालिका में शामिल होने के उपरान्त भी सम्बंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त पंचायतों की कंट्रोल टेबल को अपडेट नहीं किया गया है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) को कंट्रोल टेबल को अपडेट कर आवश्यकतानुसार मतदाताओं को डिलीट करने अथवा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) से शिफ्ट (Import) कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) से समन्वय करते हुए उचित कार्यवाही इस प्रकार किया जाना सुनिश्चित करें कि न तो मतदाताओं की डुप्लिकेट शिफ्टिंग हो और न ही कुछ मतदाता शिफ्टिंग के स्थान पर डिलीट हो जायें।
- 3.5 नगरपालिकाओं के लिए 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र बनाये जाने के निर्देश आयोग द्वारा पूर्व में जारी किये गये हैं, लेकिन समीक्षा में यह पाया गया है कि नगरपालिकाओं में लगभग 35 प्रतिशत तक मतदान केन्द्र निर्धारित सीमा से अधिक बनाये गये हैं। सामान्य तौर पर यह देखने में आया है कि मतदाताओं की संख्या बढ़ने पर एक मतदान केन्द्र को तोड़कर दूसरा मतदान केन्द्र बनाया गया है। इस प्रक्रिया में एक के बाद एक मतदान केन्द्र बढ़ते चले गये हैं, लेकिन मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण का ध्यान नहीं रखा गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या 1200 हुई तो उसे 800 और 400 मतदाताओं के दो मतदान केन्द्रों में विभाजित कर दिया गया है। भविष्य में 800 वाले मतदान केन्द्र के मतदाता यदि फिर बढ़कर 1200 हो गये तो उसे पुनः 02 भागों में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार 1600 मतदाताओं के लिए 03 मतदान केन्द्र बना दिय गये हैं, जबकि युक्तियुक्तकरण करने से 02 मतदान केन्द्रों में भी काम चल सकता था। मतदान केन्द्रों की अधिकता से न केवल चुनाव सम्बंधी प्रक्रियाएँ बढ़ती हैं, बल्कि निर्वाचन व्यय भी बढ़ता है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अब मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लिया है।
- 3.6 मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करने का आशय यह नहीं है कि मतदान केन्द्रों की संख्या बेवजह कम की जाये। प्रत्येक नगरपालिका वार्ड के लिए न्यूनतम 01 मतदान केन्द्र स्थापित होना अनिवार्य है। इसी प्रकार 02 कि.मी. की भौगोलिक परिधि में भी मतदाता को मतदान केन्द्र उपलब्ध कराया जाना अभी भी आवश्यक रहेगा।

- 3.7 मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण करने के प्रयोजन से कंट्रोल टेबल की चैकलिस्ट में मतदान केन्द्र से सम्बंधित मतदाताओं की संख्या भी प्रदर्शित होगी। कंट्रोल टेबल की चैकलिस्ट निकालकर मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण करने के सम्बंध में परीक्षण हेतु नगरपालिका के लिए आयुक्त नगरपालिकनिगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सौंपी जाये। प्राधिकृत कर्मचारी अपने वार्ड से सम्बंधित मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही का प्रस्ताव, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- 3.8 प्राधिकृत कर्मचारी और आयुक्त नगरपालिकनिगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी मतदान केन्द्रों के सम्बंध में कंट्रोल टेबल का परीक्षण करेंगे और निम्नलिखित बिन्दुओं पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-
- मतदाताओं की संख्या को युक्तियुक्त करते हुए मतदान केन्द्रों की संख्या में कमी किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव।
 - वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केन्द्रों के भवनों में युक्तियुक्त परिवर्तन के प्रस्ताव।
 - मतदाताओं की संख्या और भौगोलिक सीमा को ध्यान में रखते हुए मतदान केन्द्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव।
- 3.9 मतदान केन्द्रों की संख्या के सम्बंध में परीक्षण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाये :-
- प्रत्येक नगरपालिका वार्ड के लिए न्यूनतम एक मतदान केन्द्र।
 - नगरपालिका के लिए यथासम्भव 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र, लेकिन मतदान केन्द्र में बढ़ोत्तरी मतदाता की संख्या 1200 से अधिक होने पर ही की जाये।
 - 02 कि.मी. की भौगोलिक सीमा में एक मतदान केन्द्र अवश्य बनाया जाये।
 - नदी-नाले, पहाड़ी आदि प्राकृतिक विषमताओं के साथ साथ सामाजिक विषमताओं को दृष्टिगत रखते हुए भी मतदान केन्द्र स्थापित किये जायें।
- 3.10 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त प्रस्तावों के आधार पर परीक्षण उपरांत मतदान केन्द्रों के परिवर्तन के सम्बंध में यथोचित निर्णय लेंगे और तदनुसार कंट्रोल टेबल में मतदान केन्द्रों के सम्बंध में अपडेशन करेंगे।
- 3.11 कंट्रोल टेबल के सम्बंध में उपरोक्त कंडिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के उपरांत ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर शिपिंग सूची, विलोपन वेरीफिकेशन सूची और संशोधन वेरीफिकेशन सूची जेनरेट की जाये। उक्त सूचियाँ मार्किंग के लिये प्राधिकृत कर्मचारी को सौंपी जायेंगी।

—*—*—*

अध्याय-4

द्वितीय चरण

विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर नगरपालिका की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना

4.1 इस चरण में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जायेगी :-

- i. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा शिपिंग सूची, विलोपन वेरीफिकेशन सूची और संशोधन वेरीफिकेशन सूची जेनरेट करना और मार्किंग के लिये प्राधिकृत कर्मचारी को सौपना.
- ii. शिपिंग सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में बढ़े और नये जोड़े हुए मतदाताओं को प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा की गई मार्किंग के अनुसार नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची में सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड में शिफ्ट करना.
- iii. विलोपन वेरीफिकेशन सूची में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा किये गये वेरीफिकेशन के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची के सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड से हटाना.
- iv. संशोधन वेरीफिकेशन सूची में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा किये गये वेरीफिकेशन के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची में यथासंशोधित करना.
- v. शिपिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा एकीकरण कर ERMS (Electoral Roll Management System) से फोटोयुक्त एवं फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना।
- vi. फोटोरहित जेनरेटेड प्रारूप मतदाता सूची को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर अपलोड करना।
- vii. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची को प्रिन्ट कर प्राधिकृत कर्मचारी के माध्यम से विहित स्थानों पर प्रकाशित करना।
- viii. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की जानकारी और प्रचार प्रसार, जनजागरूकता हेतु जिला एवं नगरपालिका स्तर पर स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन।
- ix. प्रारूप मतदाता सूची को प्रकाशित किये जाने का प्रमाणपत्र प्राधिकृत कर्मचारी से प्राप्त कर ERMS पर अपलोड करना।

नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करना

- 4.2 वेण्डर द्वारा शिपिंग सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए मार्किंग सूची) (सेम्पल-2) प्रदाय की जायेगी। इस सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं की जानकारी अनुभागवार होगी।
- 4.3 शिपिंग सूची में मतदाता के नाम के आगे नगरपालिका, मोहल्ला, अनुभाग और वार्ड नम्बर की मार्किंग करने के लिए रिक्त खाने बने हुए हैं।

- 4.4 विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, शिफ्टिंग सूची के खाने में नगरपालिका, मोहल्ला, अनुभाग और वार्ड नम्बर दर्ज करेगा। प्राधिकृत कर्मचारी को यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करना चाहिए।
- 4.5 शिफ्टिंग सूची में दर्ज शतप्रतिशत समस्त मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
- 4.6 शिफ्टिंग सूची में शतप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में शिफ्टिंग की प्रविष्टि की जायेगी।
- 4.7 शिफ्टिंग सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं को पंचायत अथवा नगरपालिका में शिफ्ट करने के लिए निर्धारित खाने में मार्किंग होना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता शिफ्टिंग की मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को शिफ्टिंग सूची में मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए। प्राधिकृत कर्मचारी को शीघ्रातिशीघ्र मार्किंग करना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरीफिकेशन

- 4.8 वेण्डर द्वारा विलोपन वेरीफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरीफिकेशन हेतु सूची) (सैम्पल-3) प्रदाय की जायेगी। विलोपन वेरीफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।
- 4.9 विलोपन वेरीफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे विलोपन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली खाना बना हुआ है।
- 4.10 विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी विलोपित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में विलोपित मतदाता की जानकारी का मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से नहीं होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।
- 4.11 इसका आशय यह है कि विलोपन वेरीफिकेशन सूची में सत्यापन करते समय क्रॉस का निशान केवल उस स्थिति में लगाया जायेगा जबकि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता के सम्बंध में नगरपालिका की मतदाता सूची की जानकारी का मिलान नहीं होता हो। अर्थात् विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता कोई और हो और नगरपालिका की मतदाता सूची में विलोपन के सत्यापन के लिए दी गई जानकारी में कोई और मतदाता हो।
- 4.12 यह स्पष्ट है कि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित समस्त मतदाताओं को अनिवार्य रूप से नगरपालिका की मतदाता सूची से हटाया जायेगा। विलोपन का वेरीफिकेशन करते समय प्राधिकृत कर्मचारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस आधार पर नाम बनाये रखने का निर्णय नहीं ले सकते कि विधानसभा की मतदाता सूची से नाम गलत तरीके से हटाया गया है। ऐसे सभी मामले दावे आपत्ति के समय विचारण में लिये जायेंगे।

- 4.13 विलोपन वेरीफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
- 4.14 विलोपन वेरीफिकेशन सूची में शतप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं को हटाने की प्रविष्टि की जायेगी।
- 4.15 विलोपन वेरीफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विलोपन वेरीफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरीफिकेशन

- 4.16 वेण्डर द्वारा संशोधन वेरीफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका वार्ड की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरीफिकेशन हेतु सूची) **(सेम्पल-4)** प्रदाय की जायेगी। संशोधन वेरीफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाताओं की जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।
- 4.17 संशोधन वेरीफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे संशोधन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली खाना बना हुआ है।
- 4.18 विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी संशोधित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाता की जानकारी का मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से **नहीं** होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।
- 4.19 संशोधन वेरीफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
- 4.20 संशोधन वेरीफिकेशन सूची में शतप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं की जानकारी को संशोधित करने की प्रविष्टि की जायेगी।
- 4.21 संशोधन वेरीफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन वेरीफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

शिपिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण

- 4.22 शिपिंग सूची विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर जेनरेट की जायेगी। यह सम्भव है कि एक शिपिंग सूची में दर्ज कुछ नाम पंचायत में और कुछ नाम नगरपालिका में शिपट किये जाना हों। ऐसी कतिपय स्थितियों में विवाद की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। प्राधिकृत कर्मचारी को ऐसे विवाद तत्काल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संज्ञान में लाना चाहिए।
- 4.23 यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, तो शिपिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- 4.24 यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में नहीं आते है, तो शिपिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन आदि नगरपालिक निगम क्षेत्रों में एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र आते है। इन क्षेत्रों में भी शिपिंग के विवाद सम्बंधी मामलों का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।
- 4.25 विवाद के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर एवं सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सम्बंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक कर यह तय करेंगे कि किस मतदाता को ग्राम पंचायत में शिपट करना है और किस मतदाता को नगरपालिका के वार्ड में शिपट करना है। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिपिंग सूची में मार्किंग कर वेरीफिकेशन करेंगे।
- 4.26 कुछ विधानसभा क्षेत्र दो-दो जिलों में भी स्थित है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-78 और 82 सीधी-सिंगरौली जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-167 आगरमालवा-शाजापुर जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-193 झाबुआ-अलीराजपुर जिलों में और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-23 शिवपुरी-दतिया जिलों में आता है। इन जिलों में यदि कोई शिपिंग सम्बंधी विवाद होता है तो विवाद का निराकरण क्रमशः सीधी, आगरमालवा, झाबुआ और शिवपुरी के जिला कलेक्टर द्वारा सम्बंधित अन्य जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से बैठक कर किया जायेगा। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिपिंग सूची में मार्किंग कर वेरीफिकेशन करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना

- 4.27 शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरीफिकेशन की मार्किंग के लिए प्रति वार्ड न्यूनतम एक प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतदाताओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक वार्ड में एक से अधिक प्राधिकृत कर्मचारी भी नियुक्त किये जा सकते है।
- 4.28 शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरीफिकेशन की प्रविष्टि ERMS में की जाकर एकीकरण उपरांत फोटोयुक्त और फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट की जायेगी। यदि शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरीफिकेशन की मार्किंग से एक भी मतदाता छूट जायेगा तो ERMS प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं करेगा।

- 4.29 शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरीफिकेशन की जानकारी ERMS में सही सही किये जाने की चैकिंग रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सावधानीपूर्वक चैकलिस्ट से कर लेना चाहिए। वेण्डर द्वारा प्रविष्टि में की गई त्रुटि को नज़रअंदाज़ करने से मतदाता सूची दूषित हो सकती है।
- 4.30 ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से उसकी फोटोरहित प्रति को वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। डिजिटली साईन्ड प्रारूप मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड होने की स्थिति में ही यह माना जायेगा कि प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट कर ली गई है। चूंकि यह कार्य निर्धारित समय पर होना है, अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने और उसे वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही पूर्ण सचेत रहकर नियत समय पर करना होगी।
- 4.31 फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रिन्ट कर मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-4(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए प्रकाशित किया जायेगा। प्राधिकृत कर्मचारी को प्रारूप मतदाता सूची अविलम्ब प्राप्त कर निर्दिष्ट स्थान पर प्रकाशित करना चाहिए और निर्धारित **परिशिष्ट-1** में प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना चाहिए।
- 4.32 प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र तैयार कर ERMS में स्कैन कर अपलोड करेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से भी यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।
- 4.33 प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के तत्काल उपरांत स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाये। जिला स्तर पर कलेक्टर और नगरपालिका स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाये। जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ जिला मुख्यालय की नगरपालिका के सदस्यों और अन्य नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी बुलाया जाये। नगरपालिका स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में राजनैतिक दलों के नगरपालिका स्तर के प्रतिनिधियों के साथ साथ नगरपालिका के सदस्यों को भी बुलाया जाये। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची, जाँच सूची, डुप्लिकेट सूची आदि सहित दावे आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया जाये।

—*—*—*

अध्याय-5

तृतीय चरण

प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना

- 5.1 दावा आपत्ति केन्द्रों पर, प्रारूप मतदाता सूची के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे एवं आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। आयोग द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी विहित आवेदनपत्रों के प्ररूप में परिवर्तन कर नये प्ररूप ER-1 (परिवर्धन), ER-2 (विलोपन), ER-3 (संशोधन) और ER-4 (अपील) जारी किये हैं।
- 5.2 प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के तत्काल उपरांत वेण्डर द्वारा **जाँच सूची (सेम्पल-5)** प्रदाय की जायेगी। **जाँच सूची** ऐसे मतदाताओं की सूची है जिनके नाम नगरपालिका की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जाँच सूची में शामिल इन मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच की जायेगी, जाँच के आधार पर युक्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी। दावे आपत्ति प्राप्त करते समय प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची के साथ-साथ यह सूची भी प्रकाशित की जायेगी, ताकि इन नामों के सम्बंध में दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर उपलब्ध हो सके।
- 5.3 **जाँच सूची** में शामिल मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा की जाये और जाँच के आधार पर यदि मतदाताओं के नाम विलोपित करना आवश्यक हो तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार नाम विलोपित किये जायें। मृत मतदाता और शिफटेड मतदाताओं के सम्बंध में जाँच के आधार पर कार्यवाही की जाये।
- 5.4 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वेण्डर से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट होने के तत्काल बाद **डुप्लिकेट सूची (सेम्पल-6)** प्राप्त कर लेना चाहिए। **डुप्लिकेट सूची** में ऐसे मतदाताओं की जानकारी होगी जिनके नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक स्थानों पर दर्ज है। यह सूची 3 भागों में होगी :-
- डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम एक ही नगरीय निकाय में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है **{सेम्पल-6(1)}**।
 - डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक नगरीय निकाय में दर्ज है **{सेम्पल-6(2)}**।
 - डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले की ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है **{सेम्पल-6(3)}**।
- 5.5 मतदाता सूची में दो स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज होने के संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक एफ-52-4/2015/तीन/नपा/745, दिनांक 19.10.2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिले के लिए चयनित वेण्डर से प्राप्त दोहरे नामों वाली सूची (**डुप्लिकेट सूची**) के सम्बंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दोहरे नामों के विलोपन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। डुप्लिकेट सूची में दर्ज मतदाताओं के सम्बंध में निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी :-

क्रमांक	विवरण	कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी
1.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम एक ही नगरीय निकाय में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है।	सम्बंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

क्रमांक	विवरण	कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी
2.	डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक नगरीय निकाय में दर्ज है।	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
3.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम जिले के ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है।	1. सम्बंधित नगरीय निकाय के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई की जायेगी। 2. यदि मतदाता का नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना पंचायत के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जायेगी।

- 5.6 डुप्लिकेट सूची के सम्बंध में की जाने वाली कार्यवाही में प्राधिकृत कर्मचारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सहयोग करेगा।

दावे तथा आपत्तियों के संबंध में कार्यवाही

- 5.7 मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण के तहत निर्धारित समयावधि में प्राधिकृत कर्मचारी (BLO) द्वारा दावे आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्ररूप ER-1, ER-2, ER-3 में नगर पालिका के लिए वार्ड में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्रों पर लिये जायेंगे।
- 5.8 मतदाता सूची के निरीक्षण के लिए निर्धारित अवधि के दौरान आपको केन्द्र में प्रत्येक दिन (सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर) प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निरंतर उपलब्ध रहना चाहिए, इस बीच यदि कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची देखना चाहे तो उसे तत्परता से सूची का निरीक्षण करने का अवसर देना चाहिए, तदुपरान्त यदि वह सूची में अपना या अपने परिवार के, किसी सदस्य का नाम (जो कि मतदाता के रूप में रजिस्टर किये जाने के लिए पात्र है), जोड़े जाने के लिए या सूची में अंकित नाम, आयु या अन्य किसी विवरण में हुई त्रुटि को दूर करने के लिए या सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति के नाम हो हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र (दावा या आपत्ति) पेश करना चाहे तो उसे सुसंगत फार्म (प्ररूप) तत्परता से उपलब्ध कराया जाए, दावे या आपत्तियाँ प्रत्येक कार्यकारी दिन, प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के बीच कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने के लिए नियत आखरी तारीख को केवल 3:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है, यदि कोई व्यक्ति दावा या आपत्ति, आपको प्रस्तुत करने के बजाय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सीधे देना चाहे या डाक से भेजना चाहे तो, वह ऐसा कर सकता है।
- 5.9 सामान्यतया व्यक्तिशः प्रस्तुत आवेदन-पत्र ही स्वीकार किए जाएं, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों से संबन्धित आवेदन-पत्र परिवार का कोई सदस्य इकट्ठा प्रस्तुत करे तो उन्हें ग्रहण कर लिया जाए, यदि कोई अन्य व्यक्ति भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो, दावे और आपत्तियां थोक में प्रस्तुत करना चाहे तो उन्हें ग्रहण न किया जाए तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाए कि वह संबन्धित व्यक्तियों से अलग-अलग आवेदन-पत्र दिलाए, क्योंकि आवेदकों के दावों और आपत्तियों पर जांच के सिलसिले में उनसे अलग-अलग पूछताछ की जानी होगी।
- 5.10 दावे तथा आपत्तियाँ निम्नांकित प्रकार की हो सकती हैं :-
(क) मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना,
(ख) नाम गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों के साथ उल्लिखित होना, तथा
(ग) मतदाता सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित होना, जो पात्र नहीं है।

- 5.11 दावे और आपत्तियां आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप (फार्म) में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। वे अपने मत से तैयार किये गये किसी फार्म में स्वीकार नहीं किये जा सकते, परन्तु उनका आयोग द्वारा छपाये गये फार्म में ही होना आवश्यक नहीं हैं। वे निर्धारित प्ररूप की फोटोकापी में, या टाईप किये हुए या हाथ से लिखकर तैयार की गई कापी में भी स्वीकार किये जा सकते हैं।
- 5.12 आयोग द्वारा विहित प्ररूप निम्नांकित है :—
- (1) **परिवर्धन दावा—(प्ररूप—ER-1)** — दावा केवल मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई मतदाता अपना नाम सूची के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अंतरित करना चाहता हो तो उसके द्वारा भी इसी प्ररूप (फार्म) में दावा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (2) **विलोपन आपत्ति (प्ररूप—ER-2)** — ऐसी आपत्ति केवल ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम संबन्धित नगरपालिका की मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित है अर्थात् जो संबन्धित नगरपालिका का मतदाता है।
 - (3) **संशोधन आपत्ति (प्ररूप—ER-3)** — यह आपत्ति मतदाता सूची में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के ब्यौरे (जैसे— मकान नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, आयु) के संबन्ध में अशुद्धि या त्रुटि पर आपत्ति हो सकती है। ऐसी आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे वह प्रविष्टि संबन्धित है, इसके लिए किसी अन्य मतदाता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है।
- 5.13 आपका यह कर्तव्य है कि दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यदि प्ररूप (फार्म) भरने में या किसी प्रविष्टि को ठीक से समझने में आपसे मार्गदर्शन या सहायता मांगे तो आप ऐसी सहायता या मार्गदर्शन प्रसन्नतापूर्वक दें।
- 5.14 कोई दावा तथा आपत्ति प्राप्त होने पर आपके द्वारा दावेदार या आपत्तिकर्ता को “आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना” हाथों-हाथ दी जाए। मामले में रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए वह तारीख डाली जाए जो दावा या आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के दिन के ठीक 3 दिन बाद पड़ने वाले कार्यकारी दिवस की तारीख हो। उदाहरणार्थ यदि दावा या आपत्ति आवेदन-पत्र 5 तारीख को प्रस्तुत किया जाता है तो सुनवाई के लिए पेशी तारीख 9 की डाली जाए, साथ ही दावेदार या आपत्तिकर्ता से पेशी तारीख की सूचना प्राप्त हो जाने के प्रमाण स्वरूप, पावती पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाएं या अंगूठे का निशान लगवा लिया जाए।
- 5.15 प्रस्तुत प्रत्येक दावे और आपत्ति के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुतकर्ता से पूछताछ की जाए और उसके आधार पर दावा या आपत्ति के प्ररूप में, सुसंगत स्थान पर, अपनी रिपोर्ट दर्ज की जाए, पूछताछ निम्नांकित बिन्दुओं के विषय में की जाए :—
- i. 01 जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के संबंध में क्या प्रमाण है? उसकी स्कूल में अंकित जन्म तिथि क्या है और यदि ऐसे कोई कागज़ (प्रमाणपत्र) उपलब्ध न हो तो उसके पास अन्य कौन सा कागज़ या परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है। यदि दावेदार की आयु 18 वर्ष से कहीं अधिक हो (जैसे कि 25 या 30 वर्ष) तो उसके द्वारा पूर्व में विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज न कराए जाने का क्या कारण था? क्या ऐसा कारण संतोषजनक है ?
 - ii. वह सामान्यतया कहां रहता है अर्थात् उसका मामूली तौर पर निवास का स्थान कहां है और वह क्या करता है? उसके परिवार में और कौन-कौन से लोग हैं तथा क्या उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हैं ?

- iii. जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाये जाने की मांग) की गई है, उसकी मृत्यु कब/कहाँ हुई ?
 - iv. जिस व्यक्ति का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने या अन्यत्र चले जाने या अपात्रता के कारण मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाए जाने के लिए मांग) की गई है, वह कब और कहाँ चला गया या उसकी कथित अपात्रता का आधार क्या है ?
- 5.16 उपरोक्त पूछताछ के पश्चात् ही आपको दावे या आपत्ति प्ररूप में सुसंगत स्थान पर अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिए, उसमें यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि आपकी राय में दावा या आपत्ति स्वीकार करने योग्य है या नहीं ?
- 5.17 पूछताछ के समय आपको यदि दावेदार/आपत्तिकर्ता की ओर से कोई कागज़ पत्र प्रस्तुत किये जाएं तो उन्हें भी उसके प्ररूप (फार्म) के साथ संलग्न कर दिया जाए, यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आपकी रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह चाहे तो मामले में सुनवाई के दौरान अपनी संतुष्टि के लिए आगे और पूछताछ कर सकता है या अलग से और भी जाँच कराकर अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकाल सकता है।
- 5.18 आपके द्वारा, प्रत्येक दिन प्राप्त दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण उसी दिन शाम को निर्धारित प्ररूप में तीन प्रतियों में तैयार किया जाए। इस विवरण की दो प्रति, प्राप्त दावे और आपत्ति मूल प्ररूपों के साथ, अगले दिन रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज दी जाए, जबकि तीसरी प्रति अपने कार्य स्थान अर्थात् केन्द्र के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रातः 10:00 बजे आम लोगों की सूचना और अवलोकन के लिए लगा दी जाए। नोटिस बोर्ड पर लगाई गई प्रति 3 दिन तक न हटाई जाए। इसके पीछे मंशा यह है कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने या किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो नगर के लोगों को उसका पता चल जाए और वे ऐसे प्रयास को निष्फल करने के लिए आपको यह सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को तथ्यों से अवगत करा सकें। यदि किसी दिन कोई दावा या आपत्ति प्राप्त न हो तो भी उस तारीख से संबंधित निरंक दैनिक विवरण तैयार किया जाए और उसका उपरोक्तानुसार प्रदर्शन और प्रेषण किया जाए। दैनिक विवरण की वह प्रति जो प्राप्त प्ररूपों (फार्म) सहित रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास पहुंचाई जानी है, को भेजे जाने के संबंध में उन्होंने जो भी व्यवस्था की हो या आपको जैसे भी निर्देश दिये हों, उनके अनुसार ही आपके द्वारा कार्यवाही की जाए।
- 5.19 दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को अपरान्ह 3:00 बजे के बाद प्रस्तुत किसी दावे या आपत्ति को स्वीकार न किया जाए। उस दिन प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण उसी दिन शाम तक केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया जाए और रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वाली प्रतिलिपि भी (प्राप्त दावे और आपत्ति के प्ररूपों सहित) भेजे जाने हेतु तैयार कर ली जाए।
- 5.20 कार्य पूर्ण हो जाने पर, आखरी दैनिक विवरण के साथ प्रारूप मतदाता सूची तथा बचे हुए प्ररूप (फार्म) सादे कागज़ पर लिखी गई एक रिपोर्ट के साथ (जिसमें यह उल्लेख हो कि आपको प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कुल कितने दावे और आपत्तियाँ प्राप्त हुईं) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप दिये जाएं।

- 5.21 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस.एल.ए.) नियुक्त किया गया है। राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस.एल.ए.) द्वारा प्रत्येक जिले में वेण्डर नियुक्त किया गया है। वेण्डर से डाटा एण्ट्री के उपरान्त चेकलिस्ट (परिवर्धन, निरसन, संशोधन) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त होगी, जिसकी जाँच आपके द्वारा की जाएगी। नियत समय में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात् फोटोयुक्त मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कोई त्रुटि नहीं हो यह आपके द्वारा सुनिश्चित किए जाएगा।
- 5.22 प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा संकलित दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ERMS में एन્ટ्री करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-
- नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्र पर प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे और आवेदन पत्र प्राप्त करने की पावती अनिवार्य रूप से आवेदक को दी जायेगी।
 - प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा यथासम्भव प्रतिदिन दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास "दैनिक विवरण रिपोर्ट" के साथ जमा कराये जायेंगे। आवेदन पत्र जमा कराने की पावती अनिवार्य रूप से प्राधिकृत कर्मचारी को दी जाये।
 - क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदन पत्रों को जमा कराने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी को अपने कार्यालय में प्रतिदिन बुलाने की बजाये, दावा आपत्ति केन्द्र से सीधे आवेदन पत्र संकलित करने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इस स्थिति में भी प्राधिकृत कर्मचारी को पावती अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
 - प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा किये गये आवेदन पत्रों की दिनांकवार जानकारी एक रजिस्टर में संधारित की जाये। रजिस्टर में प्राधिकृत कर्मचारी से आवेदन प्राप्त करने वाले कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायें, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके, के प्राधिकृत कर्मचारी से आवेदन पत्र किस कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये हैं।
 - प्राधिकृत कर्मचारी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बारकोड लगाये जायें।
 - रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को "बारकोड" उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराये गये "बारकोड" का हिसाब रखेंगे।
 - "बारकोड" किसी भी स्थिति में वेण्डर द्वारा सीधे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये जाये। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केवल उन्हीं बारकोड का उपयोग करेंगे, जो उन्हें उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - "बारकोड" लगाने के बाद आवेदन पत्रों की एन्ट्री रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ERMS में कराई जायेगी।
 - आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ERMS में एक से अधिक एकाउन्ट भी बना सकते हैं और ऐसे हर एकाउन्ट से आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री की जा सकती है। एन्ट्री करने के लिए कितने एकाउन्ट बनाना है, यह निर्णय आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं लेंगे।

- x. आवेदन पत्रों की एन्ट्री करते समय ERMS में बारकोड को स्कैन करना होगा। यदि बारकोड स्कैनर उपलब्ध नहीं है तो बारकोड में अंकित नम्बर की प्रविष्टि करना भी पर्याप्त होगा।
 - xi. आवेदन पत्रों की ERMS में प्रविष्टि होने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निराकरण की प्रविष्टि डिजिटल हस्ताक्षर से दर्ज करेंगे।
 - xii. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक बार में एक से अधिक (Multiple) आवेदन पत्रों का निराकरण ERMS में डिजिटल हस्ताक्षर से कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्रों को एक एक कर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट किये गये सभी आवेदन पत्र एक साथ एक डिजिटल हस्ताक्षर से निराकृत किये जा सकते हैं।
 - xiii. निराकृत आवेदन पत्रों की चैकलिस्ट निकालकर जाँच की जा सकती है और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सुधारा जा सकता है।
- 5.23 दावे आपत्तियों और डुप्लिकेट नाम वाले मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात् नगरपालिका की अनुपूरक सूची तैयार कर पहली जनवरी की स्थिति में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी।
- 5.24 प्रारूप मतदाता सूची की भांति अंतिम मतदाता सूची भी ERMS से जेनरेट की जायेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाइट पर उसकी फोटोरहित प्रति अपलोड की जायेगी और फोटोयुक्त मतदाता सूची को प्रिन्ट निकालकर नियत स्थानों पर प्रकाशित किया जायेगा। प्राधिकृत कर्मचारी निर्दिष्ट समयावधि में विहित स्थानों पर प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे और तत्सम्बन्धी प्रमाणपत्र **परिशिष्ट-2** में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- 5.25 अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में मय प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से उक्त प्रमाणपत्र अनिवार्य तौर से प्राप्त कर लेना चाहिए।
- 5.26 मतदाता सूची की सॉफ्ट कापी सी.डी. में तैयार की जायेगी। जिले के नगरपालिक निगम की एक सी.डी. रहेगी तथा जिले शेष नगरीय निकायों की एक सी.डी. तैयार की जायेगी। सी.डी. में मतदाता सूची डिजिटल हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित की जायेगी। नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्) उनसे सम्बंधित क्षेत्रों की मतदाता सूची की एक सी.डी. निःशुल्क प्रदाय की जाये।
- 5.27 अन्य रूपये 100/— प्रति सी.डी. का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। रूपये 2/— प्रति पृष्ठ के हिसाब से अंतिम मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय की जायेगी।

—*—*—*

अध्याय—6

मतदाता सूची एजेण्टों की नियुक्ति

- 6.1 आयोग मतदाता सूचियों की तैयारी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की सहभागिता चाहता है जिससे मतदाता सूचियों की तैयारी में पारदर्शिता एवं यथार्थता रखने में सुविधा होगी। इस हेतु प्रारूप प्रकाशन पर मतदाता सूची की एक प्रति मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिले के अध्यक्ष/प्रभारी को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
- 6.2 आयोग का ऐसा अनुभव है कि प्रारूप मतदाता सूचियों के प्रकाशन पश्चात् राजनैतिक दलों द्वारा प्रारूप मतदाता सूचियों की विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने की दिशा में अपेक्षित सक्रियता समय रहते नहीं दिखाई जाती है। यह उल्लेखनीय है कि यदि प्रारूप मतदाता सूची की विसंगतियाँ समय रहते सम्बंधित अधिकारियों (सहायक/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) के ध्यान में ला दी जाएँ तो उन विसंगतियों का निराकरण मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पूर्व किया जा सकता है।
- 6.3 प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूचियों के सम्बंध में मैदानी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जानकारी प्राप्त कर प्रारूप मतदाता सूचियों को अद्यतन किये जाने की प्रक्रिया में सहभागिता हेतु आयोग द्वारा "मतदाता सूची एजेण्ट" नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी नियुक्ति प्राधिकृत कर्मचारियों के संदर्भ में होगी और जो एक वार्ड विशेष की मतदाता सूचियों के संदर्भ में जाँच हेतु अधिकृत होगा।
- 6.4 आयोग के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल संलग्न निर्धारित प्ररूप में "मतदाता सूची एजेण्ट" नियुक्त कर सकेंगे। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने अध्यक्ष/सचिव/कार्यकारिणी सदस्य (Office Bearer) के माध्यम से एक जिला प्रतिनिधि (District representative) को जिले में मतदाता सूची एजेण्टों की नियुक्ति हेतु अधिकृत कर सकेंगे। अधिकृत किये जाने के सम्बंध में प्ररूप-1 संलग्न है। जिला प्रतिनिधि द्वारा मतदाता सूची एजेण्टों के नियुक्ति पत्र इंकपेन/बॉलपेन से हस्ताक्षरित किए जाएंगे, **हस्ताक्षर हेतु रबर स्टाम्प का उपयोग नहीं किया जायेगा।**
- 6.5 शासकीय सेवक अथवा स्थानीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में कार्यरत कर्मचारी "मतदाता सूची एजेण्ट" के रूप में नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे।
- 6.6 मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अधिकृत जिला प्रतिनिधि द्वारा मतदाता सूची एजेण्ट की नियुक्ति संलग्न निर्धारित प्ररूप-2 में की जायेगी। मतदाता सूची एजेण्ट नियुक्ति पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- 6.7 "मतदाता सूची एजेण्ट" मतदाता सूची के सम्बंध में दावे/आपत्तियाँ प्राप्त नहीं कर सकेगा। वह केवल एक मार्गदर्शक के रूप में मतदाताओं को निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करेगा।
- 6.8 मतदाता सूची एजेण्ट अपने अधिकारिता क्षेत्र में मृत एवं अन्यत्र स्थानांतरित मतदाताओं की सूची प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारित संलग्न प्ररूप-3 एवं 4 में प्रस्तुत कर सकेगा। सम्बंधित एजेण्ट को उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता के सम्बंध में एक घोषणापत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई सूची उसकी जानकारी के आधार पर सत्य है जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है वह एक दण्डनीय अपराध करता है।

- 6.9 मतदाता सूची एजेण्ट अपने अधिकारिता क्षेत्र में मतदाताओं को मतदाता सूची के प्रारूप के निरीक्षण हेतु प्रेरित करेगा तथा यथास्थिति मतदाता सूची में नाम संशोधित/विलोपित तथा स्थानांतरित किये जाने के सम्बंध में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी प्रकार "मतदाता सूची एजेण्ट" मार्गदर्शन के रूप में 18 वर्ष या उससे अधिक के मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित करेगा।
- 6.10 मतदाता सूची एजेण्ट अपरिहार्य स्थिति जैसे मृत्यु की स्थिति में ही बदला जा सकेगा। उनको बदले जाने की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया अनुसार ही होगी। अगर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नया "मतदाता सूची एजेण्ट" नियुक्त किया जाता है तो प्रारूप मतदाता सूची की वही प्रति उपयोग में लाई जाएगी जो पूर्व में मतदाता सूची एजेण्ट को मान्यता प्राप्त दल द्वारा प्रदान की गई है।
- 6.11 प्रारूप मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित करने के सम्बंध में राजनैतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। इस संदर्भ में पार्टी द्वारा आवश्यक जानकारी तथा निर्देश सम्बंधित एजेण्ट को दिये जाना होंगे।

—*—*—*—

अध्याय-7

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए अर्हता और निरर्हता

- 7.1 कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने का हकदार होगा, यदि वह :-
- (क) अर्हकारी तारीख को (अर्थात् उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार की जा रही है) 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है।
 - (ख) उस वार्ड का सामान्य तौर से निवासी है, और
 - (ग) विधानसभा की निर्वाचक नामावली में (जो कि उक्त वार्ड से सम्बंधित हो) नाम दर्ज किए जाने के लिये अन्यथा अर्हित है।
- 7.2 कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य (निरर्हित) होगा यदि वह:-
- (क) भारत का नागरिक नहीं है, या
 - (ख) पागल (विकृत चित्त का) है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है, या
 - (ग) प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष सिद्धि के समय से पाँच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, नहीं बीत गई हो, या
 - (घ) निर्वाचन के सम्बंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से सम्बंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित है,
 - (ङ) जो फिलहाल चुनाव के सम्बंध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से सम्बंधित किसी कानून के अंतर्गत मतदान के लिये अयोग्य है।
- 7.3 किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि नाम दर्ज कर लिये जाने के पश्चात् निरर्हित हो जाता है, उस मतदाता सूची में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जायेगा। परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि निरर्हता के कारण मतदाता सूची में से काटा गया है उस सूची में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता समाप्त हो जाए या विधिवत हटा दी गई हो।
- 7.4 मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-6(4) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के पाँच दिन के भीतर "अपील प्राधिकारी" को अपील कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा जिला मुख्यालय की नगर परिषदों के लिए सम्बंधित कलेक्टर/अपर कलेक्टर को तथा अन्य नगर परिषदों के लिए सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को, अपील प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है।

—*—*—*—

Control Table Checklist of Urban Bodies

जिले का नाम : हरदा

नगर पालिका परिषद का नाम : हरदा

वार्ड नं.	वार्ड का नाम	भाग क्र.	मतदान केन्द्र क्र व नाम	मोहल्ला मोहल्ले का नाम क्र.	कुल मतदाता
1	जयप्रकाश नारायण वार्ड	1	1 - वनमंडलाधिकारी कार्यालय सामान्य उत्तरी खंड	1 पानी की टंकी क्षेत्र	904
		2	2 - नेताजी सुभाषचंद्र बोस माध्यमिक शाला पश्चिम खंड कक्षा क्रमांक 1	2 राज मोहल्ला	
		3		1 गोलापुरा	759
2	चंद्रशेखर आजाद वार्ड हरदा	1	3 - खेडीपुरा प्राथ. शाला क. न. 01	1 नई आबादी बेलदार चौक	1043
		2	4 - खेडीपुरा प्राथ. शाला क. न. 02	1 मांग मोहल्ला कहारवाडी गौर कालोनी	1053
3	मोहनदास करमचंद गांधी वार्ड हरदा	1	5 - खेडीपुरा प्राथ. शाला नवनिर्मित कक्ष	1 बेलदार मोहल्ला रोड क्षेत्र	761
		2	6 - आंगन बाडी केन्द्र 12 खेडीपुरा	1 गाडरी मंदिर क्षेत्र	574
4	हनुमान वार्ड	1	7 - खेडीपुरा मा. शाला क. न. 01	1 जोशी मोहल्ला एवं खेडापति मंदिर क्षेत्र	1196
5	नरसिंह वार्ड हरदा	1	8 - नगरपालिका कार्या. राजस्व हाल उत्तरीय खंड	1 बाजार क्षेत्र	824
6	शहीद भगतसिंह वार्ड	1	9 - नगरपालिका कार्या. राजस्व हाल दक्षिणी खंड	1 जैन मंदिर क्षेत्र	886
7	राधा कृष्णन वार्ड हरदा	1	10 - केन्द्रीय विद्यालय पूर्व खंड क्रं. 1	1 शीतला माता मंदिर क्षेत्र एवं गजानंद मंदिर क्षेत्र	753
8	बाबू जगजीवनराम वार्ड हरदा	1	11 - शा. कला एवं महा.विद्यालय हाल कमरा नं.1	1 खेडीपुरा मजिस्द के पास बेलदार मोहल्ला	701
		2	12 - शा. कला एवं महा.विद्यालय कमरा नं.2	1 कसेरा मोहल्ला गोलापुरा के पास गोसाई मंदिर	608
9	छत्रपति शिवाजी वार्ड	1	13 - नगरपालिका कार्या. योजना शाखा हाल	1 शिवाजी चौक क्षेत्र	823
10	ईंदिरा गांधी वार्ड हरदा	1	14 - केन्द्रीय विद्यालय पश्चिमी खंड क्रं.2	1 बडा मंदिर क्षेत्र	1000
11	गणेशशंकर विद्यार्थी वार्ड	1	15 - नगरपालिका पूर्व मा. शाला कमरा नं. 1	1 अन्नापुरा मजिस्द क्षेत्र	733
		2	16 - नगरपालिका पूर्व मा. शाला कमरा नं. 2	1 सत्यनारायण मंदिर क्षेत्र	793
12	व्ही व्ही गिरी वार्ड	1	17 - केन्द्रीय विद्यालय दक्षिणी खंड कमरा नम्बर 3	1 अली पेथोलानी एवं तिलक भवन के सामने का क्षेत्र	875
13	राजीव गांधी वार्ड हरदा	1	18 - नगर पालिका सामुदायिक भवन वार्ड क्रमांक 13	1 जत्रापडाव क्षेत्र	913
14	डॉ भीमराव अम्बेडकर वार्ड	1	19 - शास.प्रा. शाला शुक्रवारा कमरा नं. 2	1 मानपुरा स्कूल के सामने	1008
		2	20 - शुक्रवारा प्रा. शाला कमरा नं. 3	1 मानपुरा स्कूल के पीछे रोड के पार नदी किनारे	774
15	आचार्य विनोबाभावे वार्ड हरदा	1	21 - शुक्रवारा प्रा. शाला कमरा नं.1	1 राजमा चौक एवं नूरी मस्जिद क्षेत्र	916
16	सरदार बल्लभभाई पटेल वार्ड हरदा	1	22 - कार्यापालन यंत्री लो.नि.विभाग कार्या. पूर्व खंड	1 सिविल लाईन	785
		2	23 - कार्यापालन यंत्री लो.नि.विभाग कार्या.पश्चिमी खंड	1 प्रताप टाकीज से मुल्ला जी के नाले तक	1017
		3	24 - कार्यापालन यंत्री लो.न.उत्तरी खंड	1 हरदा इन्दौर मेन रोड	616
17	लाला लाजपतराय वार्ड हरदा	1	25 - अनुविभागीय अधिकारी पचोला उपनहर अनुविभाग कार्यालय जल संसाधन	1 तवा कालोनी व हुडको कालोनी	959
		2	26 - कार्यापालन यंत्री कार्यालय जल संसाधन	1 दूधडेयरी श्यामा नगर	916
		3	27 - जिला पंचायत कार्यालय सभा कक्ष	1 दूध डेयरी शिक्षक कालोनी	862

विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बड़े हुए मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए सूची

सेम्पल-2

शिफ्टिंग सूची

विधानसभा : 135 - हरदा

भाग संख्या : 1

शिफ्टिंग के लिए मार्किंग

मतदाता क्रमांक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	क्षेत्र U R	वार्ड नंबर	भाग संख्या	मोहता क्र.
----------------	------------	-----------------	-----------------	------	-----	-------------	------	-------------	------------	------------	------------

अनुभाग : 1-सात्याखेड़ी, ग्राम-सात्याखेड़ी, 461331

83	5	गोपाल भावरे	पिता भीमसिंह	M	22	WMQ1034875					
84	5	सुनीता	पति राकेश	F	20	WMQ1110337					
166	12	रोशनी	पिता बृद्धा	F	23	WMQ1034883					
167	12	सुनील	पिता बृद्धा	M	19	WMQ1051051					
212	16	राजेश	पिता कल्लुसिंह	M	25	WMQ1034867					
323	35	रजनी	पिता रामप्रसेस	F	20	WMQ1100619					
385	43	ममता	पति राकेश	F	19	WMQ1107556					
435	48	संगीता	पति राजेश	F	32	WMQ1051069					
439	48	संगीता	पति संदिप	F	24	WMQ1051077					
444	49	आनंद	पिता हरि	M	19	WMQ1100627					

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची

विलोपन - वेरिफिकेशन सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा

जिला : हरदा

वार्ड संख्या : 5 , भाग संख्या : 1

विधानसभा में विवरण			नगरीय निकाय में विवरण			
निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	मतदाता क्र. निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	सत्यापन मार्किंग
ईपिक संख्या	लिंग आयु विलोपन का कारण		ईपिक संख्या	लिंग आयु गृह संख्या		(√ / X)
शिवप्रसाद BYS0107516	पिता नाथूराम M 82 Expired		125 शिवप्रसाद BYS0107516	पिता नाथूराम M 81 44		☐
मूर्तुजा खां BYS0109827	पिता बाबू खां M 73 Expired		443 मूर्तुजा खां BYS0109827	पिता बाबू खां M 72 125/क		☐
माणकचंद BYS0110445	पिता जैनारायण M 81 Expired		577 माणकचंद BYS0110445	पिता जैनारायण M 80 174		☐

कुल संख्या :

3

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची
संशोधन - वेरिफिकेशन सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा				जिला : हरदा				वार्ड संख्या : 1 , भाग संख्या : 1			
विधानसभा में विवरण				नगरीय निकाय में विवरण							
निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो		मतदाता क्र. निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	सत्यापन मार्किंग				
ईपिक संख्या	लिंग आयु गृह संख्या			ईपिक संख्या	लिंग आयु गृह संख्या		(√ / X)				
अंगूरी	पति बद्रीप्रसाद			84 अंगूरी	पति बद्रीप्रसाद		☐				
MP/28/227/042086	F 49			MP/28/227/042086	F 48 14						
विमला	पति मनोरीलाल			87 विमला	पति मनोरीलाल		☐				
MP/28/227/042087	F 56			MP/28/227/042087	F 55 16						
सावित्री	पति विजय			93 सावित्री	पति विजय		☐				
MP/28/227/042268	F 49			MP/28/227/042268	F 48 17						
सत्यनारायण	पिता भीकू			292 सत्यनारायण	पिता भीकू		☐				
MP/28/227/042137	M 56			MP/28/227/042137	M 55 71						
प्रभा	पति बालाराम			498 प्रभा	पति बालाराम		☐				
MP/28/227/042338	F 51			MP/28/227/042338	F 50 125						
अशोक	पिता मुख्तयार			581 अशोक	पिता मुख्तयार		☐				
BYS4680369	M 51			BYS4680369	M 50 146						
चंद्रावती	पति अशोक			582 चंद्रावती	पति अशोक		☐				
BYS4680344	F 46			BYS4680344	F 45 146						
अरविन्द	पिता तुलसीराम			624 अरविन्द	पिता तुलसीराम		☐				
WMQ0789255	M 22			WMQ0789255	M 21 150						
जगदीश	पिता किसन			733 जगदीश	पिता किसन		☐				
BYS4660791	M 49			BYS4660791	M 48 177						
पार्वती	पति जगदीश			734 पार्वती	पति जगदीश		☐				
BYS4457354	F 44			BYS4457354	F 43 177						
कुल संख्या :				10							

ऐसे मतदाताओं की सूची जिनके नाम नगरीय निकाय की अद्यतन मतदाता सूची में तो शामिल है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

सेम्पल-5

जांच सूची							
नगर पालिका परिषद - हरदा			जिला : हरदा		वार्ड संख्या : 1 , भाग संख्या : 1		
मतदाता क्र.	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो
अनुभाग : 1-पानी की टंकी क्षेत्र							
81	12	राकेश शर्मा	पिता मोहन शर्मा	M	18		
89	15	लखन	पिता सरजा	M	46	MP/28/227/042301	
90	16	मनोरीलाल	पिता सरजा	M	61	MP/28/227/042302	
165	43	सुशील	पिता सुरेश	M	38	BYS4618039	
166	43	मालती	पति सुशील	F	35	BYS4457131	
250	60	बसुबाई	पति रामप्रसाद	F	76	MP/28/227/042037	
294	70	कैलाश	पिता अमरसिंग	M	49	MP/28/227/042246	
295	70	रुकमणि	पति कैलाश	F	42	MP/28/227/042109	
439	105	मनोहरलाल	पिता घासीराम	M	63	MP/28/227/042058	
440	105	इंद्राबाई	पति शंकरलाल	F	61	MP/28/227/042105	
458	111	सरस्वती	पति मुन्नालाल	F	46	MP/28/227/042210	
459	111	राजकुमारी	पिता मुन्ना लाल	F	26	WMQ0304089	
501	125	बालाराम	पिता घासीराम	M	56	MP/28/227/042186	
542	133	भीकू	पिता सोनू	M	56	MP/28/227/042100	
554	136/क	दयाराम	पिता मूलचन्द्र	M	44		

सेम्पल-6(1)

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
एक ही नगरीय निकाय में दो या अधिक स्थानों पर दर्ज है (कुल मतदाता : 40)

नगर पालिका परिषद - हरदा

वार्ड क्र.	भाग क्र.	मतदाता क्र.	गृह संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	सत्यापन मार्किंग (✓)	
										मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
22	2	178	136/4	मो इलियास	स्माईल खां	M	44	BYS0220327		☐	☐
30	2	322	97	मोहइलियास	स्माईलखां	M	44	BYS0220327		☐	☐
31	2	231	200क	सुनीता	ब्रहमाप्रसाद	F	43	BYS0728998		☐	☐
32	1	310	200क	सुनीता	ब्रहमाप्रसाद	F	43	BYS0728998		☐	☐

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
(दो या दो से अधिक नगरीय निकायों में) (कुल मतदाता : 2)

सेम्पल-6(2)

जिला - हरदा

नगरीय निकाय का नाम	वार्ड क्र.	भाग क्र.	मोहल्ले का नाम	क्रम संख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	सत्यापन मार्किंग (✓)	
												मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
न.प. टिमरनी	15	1	खंगारपुरा	738	24	धापुबाई	पति लालसिंह	F	52	MP/28/227/297502		☐	☐
न.प. खिरकिया	1	1	किसान मोहल्ला	2	1	लक्ष्मी	पति धननी	F	70	MP/28/227/297502		☐	☐

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
(नगरीय निकाय एवं पंचायत में) (कुल मतदाता : 14)

सेम्पल-6(3)

जिला - हरदा

विकासखण्ड क्रमांक - 1 (कुल मतदाता : 6)

नगरीय / पंचायत	नगरीय निकाय / विकासखण्ड का नाम	वार्ड क्र.	भाग क्र.	मोहल्ले का नाम / पंचायत का नाम	क्रम संख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	सत्यापन मार्किंग (✓)	
													मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
पंचायत					413	59ख	कृष्णाबाई	पति भगवानदास	F	51	MP/28/227/303034		☐	☐
वि.खं. खिरकिया		4		भगवानपुरा									☐	☐
नगरीय	न.प. खिरकिया	2	1	खेडोपुरा रोड	834	121	किरण	पति शांतलाल	F	48	MP/28/227/303034		☐	☐
पंचायत					410	59ख	भारतलाल	पिता हरिसांकर	M	72	MP/28/227/303193		☐	☐
वि.खं. खिरकिया		4		भगवानपुरा									☐	☐
नगरीय	न.प. खिरकिया	2	1	खेडोपुरा रोड	457	60/1	सुनित	पिता हरिप्रसाद	M	43	MP/28/227/303193		☐	☐

प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश
नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-4 के तहत
जिला नगरपालिका
वार्ड क्रमांक की दिनांक 01 जनवरी के
संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन
दिनांक को किया गया है।

दिनांक :-

स्थान :-

प्राधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम

वार्ड क्रमांक

नगरपालिका

जिला

अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश नगरपालिका
निर्वाचन नियम, 1994 के तहत जिला
नगरपालिका वार्ड क्रमांक
की दिनांक 01 जनवरी के संदर्भ में फोटोयुक्त
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक
को किया गया है।

दिनांक :-

स्थान :-

प्राधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम

वार्ड क्रमांक

नगरपालिका

जिला

प्ररूप—1

मतदाता सूची एजेंट नियुक्ति हेतु

राजनैतिक दल द्वारा पदधारी को प्राधिकृत किये जाने की सूचना
..... दल मध्यप्रदेश

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
स्थानीय निर्वाचन
जिला (म. प्र.)

विषय:—नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् मतदाता सूचियों की तैयारी हेतु मतदाता सूची एजेंट की नियुक्ति के संबंध में अधिकृत करने बाबत.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में मतदाता सूची एजेंट नियुक्त किये जाने हेतु पार्टी निर्मांकित को अधिकृत करती है:—

नामों की सूचना भेजने के लिए प्राधिकृत पदधारी का नाम (1)	दल की जिले इकाई में उसके द्वारा धारित पद का नाम (2)	जिला जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है (3)
--	--	---

2. ऊपर उल्लेखित व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं—

नाम	नमूना हस्ताक्षर
(1) श्री	(1)

भवदीय,
अध्यक्ष/सचिव/कार्यकारिणी सदस्य
हस्ताक्षर
दल का नाम

स्थान
तारीख (दल की मोहर)

प्ररूप-2

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के अधिकृत पदाधिकारी की ओर से मतदाता सूची एजेंट नियुक्त किये जाने की जानकारी हेतु प्रपत्र

प्रति,

- (1) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
स्थानीय निर्वाचन
जिला (म.प्र.).

विषय :—मतदाता सूची एजेंट नियुक्त किये जाने की सूचना के संबंध में.

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों की तैयारी के कार्य में सहभागिता हेतु को वार्ड क्रमांक नगरीय निकाय क्षेत्र के लिये मतदाता सूची एजेंट नियुक्त करता हूं / करती हूं तथा यह भी लेख करता हूं / करती हूं कि दल की ओर से क्षेत्र की मुद्रित मतदाता सूची की प्रति उन्हें उपलब्ध करा दी गई है.

मतदाता सूची एजेंट के लिये नियुक्त व्यक्ति का नाम क्षेत्र की मतदाता सूची क्रमांक पर दर्ज है.

नाम

नमूना हस्ताक्षर

(1) श्री

(1)

भवदीय,

स्थान

नाम

तारीख

जिला प्रतिनिधि, राजनैतिक दल

हस्ताक्षर

दल की सील (पदमुद्रा)

प्ररूप-3

मृत मतदाताओं की जानकारी बाबत

नगरीय निकाय क्षेत्र का नाम

मतदाता सूची का भाग क्र.

मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि का सरल क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता के निवास का पता	मतदाता परिचय पत्र क्रमांक यदि जारी किया गया	जानकारी का स्रोत	टिप्पणी
--	------------------	------------------------------	--	---------------------	---------

मैं यह घोषित करता हूं / करती हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही हैं। मिथ्या जानकारी दिए जाने की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में वर्णित दण्डात्मक प्रावधानों का भी मुझे ज्ञान है।

(मतदाता सूची एजेंट के हस्ताक्षर)

दिनांक

पूरा नाम

दल का नाम

प्ररूप-4

मतदाताओं के अन्यत्र चले जाने की जानकारी बाबत

नगरीय निकाय क्षेत्र का नाम

मतदाता सूची का भाग क्र.

मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि का सरल क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता परिचय पत्र क्रमांक यदि जारी किया गया	अन्यत्र चले जाने (पता जो ज्ञात हो) का उल्लेख	जानकारी का स्रोत
--	------------------	--	--	---------------------

मैं यह घोषित करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही हैं। मिथ्या जानकारी दिए जाने की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में वर्णित दण्डात्मक प्रावधानों का भी मुझे ज्ञान है।

(मतदाता सूची एजेंट के हस्ताक्षर)

दिनांक

पूरा नाम

दल का नाम

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति का नाम													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति का नाम														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति का नाम													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति का नाम													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति का नाम														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति का नाम														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति का नाम													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति का नाम														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति का नाम														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति का नाम													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति का नाम													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति का नाम													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति का नाम														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष							मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति का नाम													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति का नाम														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष							मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति का नाम														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

2 / 2 P a g e

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति का नाम													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति का नाम														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष							मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति का नाम														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति का नाम													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति का नाम													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम														
उपनाम														
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य											
पिता/पति का नाम														
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास							
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक													
मोबाईल नम्बर														
आधार नम्बर														

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेजों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति का नाम													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

2 / 2 P a g e

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति का नाम													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।
पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि ।

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य										
पिता/पति का नाम													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण
 (जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला		जिला	
नगरपालिका		जनपदपंचायत	
वार्ड क्रमांक		ग्राम पंचायत	
भाग संख्या		वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक		मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- मैं, भारत का/की नागरिक हूँ.
- मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
- उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

मोहर

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :- जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :- ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :- राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-2")

मतदाता का विवरण जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने पर आपत्ति है.

जिला	
नगर पालिका का नाम	
नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	
मतदाता का नाम	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

आपत्तिकर्ता का मतदाता सम्बंधी एवं अन्य विवरण

जिला										
नाम										
पिता/पति का नाम										
पता										
वार्ड क्रमांक										
भाग संख्या										
मतदाता क्रमांक										
मोबाईल नम्बर										

आपत्ति का आधार

.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर या
 अंगूठे का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है. 2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) वार्ड क्रमांक नगर पालिका जिला
तारीख	

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा ER-2 में प्रस्तुत आपत्ति को :- (क) स्वीकार कर लिया गया है और उक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक के भाग संख्या में मतदाता क्रमांक पर उल्लेखित श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम को विलोपित कर दिया गया है. (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :- 	
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका जिला

नगरपालिका निर्वाचन

मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति-आवेदन

 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-2")

मतदाता का विवरण जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने पर आपत्ति है.

जिला	
नगर पालिका का नाम	
नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	
मतदाता का नाम	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

आपत्तिकर्ता का मतदाता सम्बंधी एवं अन्य विवरण

जिला										
नाम										
पिता/पति का नाम										
पता										
वार्ड क्रमांक										
भाग संख्या										
मतदाता क्रमांक										
मोबाईल नम्बर										

आपत्ति का आधार

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर या
 अंगूठे का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है. 2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) वार्ड क्रमांक नगर पालिका जिला
तारीख	

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा ER-2 में प्रस्तुत आपत्ति को :- (क) स्वीकार कर लिया गया है और उक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक के भाग संख्या में मतदाता क्रमांक पर उल्लेखित श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम को विलोपित कर दिया गया है. (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :- 	
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका जिला

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्रारूप-ER-2")

मतदाता का विवरण जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने पर आपत्ति है.

जिला	
नगर पालिका का नाम	
नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	
मतदाता का नाम	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

आपत्तिकर्ता का मतदाता सम्बंधी एवं अन्य विवरण

जिला										
नाम										
पिता/पति का नाम										
पता										
वार्ड क्रमांक										
भाग संख्या										
मतदाता क्रमांक										
मोबाईल नम्बर										

आपत्ति का आधार

.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर या
 अंगूठे का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है. 2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) वार्ड क्रमांक नगर पालिका जिला
---	---

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा ER-2 में प्रस्तुत आपत्ति को :- (क) स्वीकार कर लिया गया है और उक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक के भाग संख्या में मतदाता क्रमांक पर उल्लेखित श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम को विलोपित कर दिया गया है. (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :- 	
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका जिला

नगरपालिका निर्वाचन

मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति-आवेदन

 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ER-2")

मतदाता का विवरण जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने पर आपत्ति है.

जिला	
नगर पालिका का नाम	
नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	
मतदाता का नाम	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

आपत्तिकर्ता का मतदाता सम्बंधी एवं अन्य विवरण

जिला										
नाम										
पिता/पति का नाम										
पता										
वार्ड क्रमांक										
भाग संख्या										
मतदाता क्रमांक										
मोबाईल नम्बर										

आपत्ति का आधार

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर या
 अंगूठे का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है. 2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) वार्ड क्रमांक नगर पालिका जिला
---	--

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा ER-2 में प्रस्तुत आपत्ति को :- (क) स्वीकार कर लिया गया है और उक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक के भाग संख्या में मतदाता क्रमांक पर उल्लेखित श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम को विलोपित कर दिया गया है. (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :- 	
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका जिला

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम	
वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है. 2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) वार्ड क्रमांक नगर पालिका जिला
तारीख	

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री / श्रीमती / कुमारी द्वारा प्ररूप-ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :- (क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :- 	
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम	
वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है. 2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) वार्ड क्रमांक नगर पालिका जिला
तारीख	

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री / श्रीमती / कुमारी द्वारा प्ररूप-ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :- (क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :- 	
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम	
वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है. 2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) वार्ड क्रमांक नगर पालिका जिला
तारीख	

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री / श्रीमती / कुमारी द्वारा प्ररूप-ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :- (क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :- 	
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम	
वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है. 2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) वार्ड क्रमांक नगर पालिका जिला
तारीख	

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री / श्रीमती / कुमारी द्वारा प्ररूप-ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :- (क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :- 	
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम	
वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है. 2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) वार्ड क्रमांक नगर पालिका जिला
तारीख	

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री / श्रीमती / कुमारी द्वारा प्ररूप-ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :- (क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :- 	
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका

नगरपालिका निर्वाचन
 मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन-आवेदन
 (नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम	
वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया
 पासपोर्ट आकार का
 फोटो (3.5से.मी.X3.5से.
 मी.), जिसमें इस बॉक्स
 के भीतर पूरे चेहरे के
 सामने की आकृति
 स्पष्ट हो, चिपकाने के
 लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :
 तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे
 का निशान

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	
तारीख :	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है. 2. प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 	हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी (नाम) वार्ड क्रमांक नगर पालिका जिला
तारीख	

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक	तारीख
श्री / श्रीमती / कुमारी द्वारा प्ररूप-ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :- (क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :- (ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :- 	
मोहर	हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांक नगरपालिका जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांक नगरपालिका जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांक नगरपालिका जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड १०३ नगरपालिका जिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/ श्रीमती/ कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/ साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :- सुनवाई की तारीख सुनवाई का स्थान	
--	--

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांक नगरपालिका जिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/ श्रीमती/ कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/ साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री / श्रीमती / कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी / साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री / श्रीमती / कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी / साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांक नगरपालिका जिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी	
का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी	
का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी	
का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी	
का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम

वार्ड १०७नगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/ श्रीमती/ कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/ साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी	
का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी	
का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी	
का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी	
का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम

वार्ड ११३नगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/ श्रीमती/ कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/ साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :- सुनवाई की तारीख सुनवाई का स्थान	
--	--

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांक नगरपालिका जिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/ श्रीमती/ कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/ साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



प्ररूप		
ER-1	ER-2	ER-3

(जो लागू हो उसे टिक (✓) करें)

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :- सुनवाई की तारीख सुनवाई का स्थान	
--	--

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांकनगरपालिकाजिला



श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांक नगरपालिका जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांक नगरपालिका जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड क्रमांक नगरपालिका जिला

श्री/श्रीमती/कुमारी का आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन पर सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान व तारीख पर प्रातः 10:30 बजे की जायेगी. सुनवाई के लिए आवश्यक जानकारी/साक्ष्य के साथ उपस्थित हों :-	
सुनवाई की तारीख	
सुनवाई का स्थान	

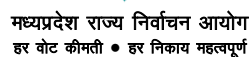
तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड ११७ नगरपालिका जिला





दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

121

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

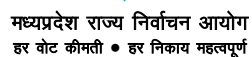
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला



दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

123

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

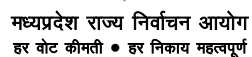
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला



दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

125

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची का पुनरीक्षण
नगर पालिका का नाम

दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

[illegible]

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

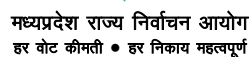
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला



भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

129

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

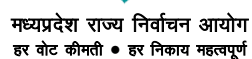
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला



दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

131

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

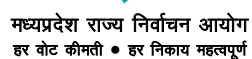
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला



दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

133

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

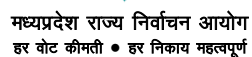
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला



दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

135

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

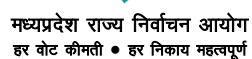
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला



दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

137

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

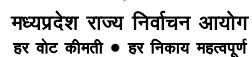
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला



दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

139

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

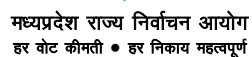
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला



दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

141

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

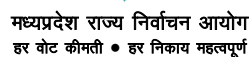
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला



दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

143

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

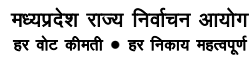
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला



भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

145

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

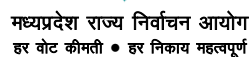
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला



दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

147

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

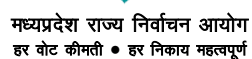
क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला



दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण

दिनांक :

भाग-1 (दावा आवेदन ER-1)

149

भाग-2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	

भाग-3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग संख्या	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम)
वार्ड क्रमांक
नगर पालिका
जिला